भारत सरकार | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA | MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF
SCIENCE & TECHNOLOGY
सत्यमेव जयते

EUROPEAN UNION

घोषणा

भारत-ईयू अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन (आरएंडआई) सहयोग

डीएसटी द्वारा आरएंडआई 'होराइज़न यूरोप' आह्वान 2023-2024 के संबंध में ईयू कार्यढांचा कार्यक्रम के अंतर्गत सह-निधीयन भागीदारी की घोषणा2023-2024

यूरोपीय संघ-भारत कार्यनीतिक साझेदारी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन सहयोग (एसटीआई) की उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका है। ईयू-भारत कार्यनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए मार्ग, और 12 फरवरी 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संयुक्त संचालन समिति की बैठक के अनुरूप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने ईयू आर एंड आई अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रम 'होराइजन यूरोप' (एचई) के कार्य कार्यक्रम 2023-2024में ऐसे प्रस्ताव आह्वानों की पहचान की है, जिन्हें वह पारस्परिक हित का और वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के प्रति लक्षित मानता है।

इसके लिए, डीएसटी ने उन शर्तों को रेखांकित करते हुए तंत्र स्थापित किया है, जिन पर वह सफल भारतीय इकाई/इकाइयों का सह-निधीयन करेगा और जिनमें सह-निधीयन तंत्र (इसके बाद सीएफएम) का पालन करते हुए आह्वान के विषयों की घोषणा की गई है।

सीएफएम **एआई, डेटा और रोबोटिक्स; ग्रिड सहायता और चार्जिंग अवसंरचना के लिए विद्युत ऊर्जा भंडारण समाधान; शून्य उत्सर्जन वाहन; मिशन इनोवेशन आदिके अनुरूप जैव ईंधन** के क्षेत्रों में डीएसटी द्वारा निर्धारित आह्वान विषयों पर लागू होगा । इस घोषणा के विभिन्न वर्गों में यह स्पष्ट किया गया है कि सह-वित्त पोषित परियोजना कैसे तैयार और जमा की जाए।

खंड 1 में सह-वित्तपोषण के लिए डीएसटी द्वारा चिन्हित आह्वान के विषय सूचीबद्ध हैं। सूची में सटीक आह्वान आईडी, आह्वान के प्रारंभ और समाप्ति की तारीख, निर्धारित कार्रवाई के प्रकार और होराइजन यूरोप फंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल में प्रकाशित आह्वान के पूरे पाठ का लिंक दिया गया है।

खंड 2 और 3 में, प्रशासनिक और वित्तीय निहितार्थों सहित भारतीय आवेदकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले भागीदारी के विभिन्न तौर-तरीकों को रेखांकित किया गया है (अनुबंध 1 देखें)।

सभी प्रस्ताव होराइजन यूरोप फंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल और डीएसटी के ईपीएमएस पोर्टल, दोनों पोर्टलों पर जमा किए जाएंगे। ईयू केवल अपने पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा। डीएसटी भारतीय इकाई द्वारा अपनी भागीदारी के लिए आवश्यक बजट संबंधी सभी विवरणों के साथ ईयू को प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रति प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। बजट की जानकारी निर्धारित प्रारूप में और भारतीय रुपये में प्रदान की जानी है। इसके अभाव में, डीएसटी भारतीय प्रतिभागियों को निधीयन हेतु अयोग्य घोषित कर देगा (नीचे खंड 4 देखें)।

घोषणा केअंतमें, 'होराइजनयूरोप' औपचारिकताओंतकपहुंचनेऔरउन्हेंपूराकरने की प्रक्रिया, जिसकाभारतीयआवेदकोंकोभीपालनकरनाहै (अनुलग्नक 2) औरभागीदारोंकोखोजने (अनुलग्नक3)केबारेमेंजानकारीप्रदानकीगई है ।

आह्वान के संपूर्ण पाठ केलिएहोराइजन यूरोपफ़ंडिंगएंडटेंडर्सपोर्टलपरक्लिककरें, उसमेंसामान्यशर्तेंऔरतौर-तरीके, विशेषरूपसेसंबंधित आह्वान के विषयपरविशिष्टआह्वान शर्तें दी गई हैं।कृपयाआह्वान के पाठकोध्यानसेपढ़ें, जोकिएकमात्रकानूनीरूपसेबाध्यकारी पाठ है।

विषय सूची

खंड1: सह-वित्तपोषित आह्वान विषयों की सूची 4

खंड2: भारतीय आवेदकों के लिए भागीदारी और वित्तपोषण के तौर-तरीके 7

1. भागीदारी 7

1. 1.भारतीय निकाय की भागीदारी 7

1. 2. यूरोपीय निकाय की भागीदारी 8

1.3. लैंगिक संतुलन 8

2. पात्रता 8

2.1. भागीदारी हेतु पात्र भारतीय निकाय 8

2.2. भागीदारी हेतु पात्र यूरोपीय निकाय 9

3. वित्तपोषण 9

3.1 डीएसटी द्वारा वित्तपोषण 9

3.2 ईयू द्वारा वित्तपोषण 10

3.3 आईपीआर: स्वामित्व, सुरक्षा एवं प्रयोक्ता अधिकार 10

4. प्रस्ताव तैयार करना 10

खंड 3: भारतीय आवेदक के लिए डीएसटी के निबंधन और शर्तें 13

खंड 4: परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 13

1. होराइजन यूरोप फंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल पर प्रस्ताव की प्रस्तुति 13

2. डीएसटी से अनुरोधित बजट सहित डीएसटी को प्रस्ताव की प्रस्तुति 14

3. होराइजन यूरोप फंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल को प्रस्तुति की औपचारिकताएं 15

आगे की जानकारी 15

अनुलग्नक 1: प्रशासनिक और वितीय निहितार्थों के नमूने 16

अनुलग्नक 2:'होराइजन यूरोप' पोर्टल और औपचारिकताओं तक अभिगम और उन्हें उपयोग करने का तरीका 22

अनुलग्नक: 3 भागीदारों की खोज 23

खंड 1:सह-वित्तपोषित आह्वान विषयों की सूची

सीएफएम केवल नीचे सूचीबद्ध होराइजन यूरोप (एचई) कार्य कार्यक्रम 2023-2024 के आह्वान विषयों पर लागू होता है

क्र. सं.	शीर्षक	अभिज्ञात विषय	कार्रवाई का प्रकार	शुरूआत की तारीख	समाप्ति की तारीख
	एआई, डेटा और रोबोटिक्स				
1.	**कारगर विश्वसनीय एआई - आंकड़ों का सर्वोत्तम उपयोग (एआई, डेटा और रोबोटिक्स भागीदारी)**	HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-01	आरआईए	उपलब्ध	29 मार्च2023
	प्रस्ताव में निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों में से कम से कम एक को शामिल किया जाना चाहिए: • स्वचालित और एआई-आधारित खनन, कटाई, चयन, सफाई, व्याख्या, और/या एआई के लिए डेटा का बेहतरीकरण/संवर्धन; बड़ी मात्रा में वास्तविक और संभावित संवेदनशील डेटा की आवश्यकता को कम करने के लिए कृत्रिम डेटा का उत्पादन और उपयोग करना; एआई प्रणालियों में इन प्रक्रियाओं की दक्षता का सत्यापन; • हल्के, कम डेटा-गहन और कम ऊर्जा खपत करने वाले एआई मॉडल, इष्टतमीकृत सीखने की प्रक्रिया जिसमें आउटपुट की गुणवत्ता को कम किए बिना कम इनपुट (डेटा कुशल एआई) की आवश्यकता होती है; मशीन लर्निंग के तरीके और जो ट्रांसफर लर्निंग; वन-शॉट लर्निंग; निरंतर और/या आजीवन सीखनेजैसी कम मात्रा पर काम करने वाले आर्किटेक्चर। प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इनमें से कौन से दो क्षेत्र उनके प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे। कार्य से एआई की डेटा दक्षता और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में योगदान मिलना चाहिए, और एआई के लिए डेटा के प्रावधान को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। कार्य में उपयुक्त एआई प्रतिमानों (केंद्रीय, वितरित, गतिशील, संकर), उपयोग की स्थिति की जरूरतों के लिए आसानी से प्रतिक्रिया देने और अनुकूल बनाने, तथा डेटा के लिए बदलती विशेषताओं, उपलब्धता और उपयोग की शर्तों के लिए समर्थन उपलब्ध होना चाहिए। अधिक जानें				
2.	**व्याख्या योग्य और सुदृढ़ एआई (एआई डेटा और रोबोटिक्स साझेदारी)**	HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01-06	आरआईए	15नवम्बर2023	19 मार्च2024
	सुदृढ़ और विश्वसनीय एआई प्राप्त करने के लिए, मॉडल-आदर्श परिस्थितियों के अलावा भी कार्य कर सकने योग्य अन्य तरीकों और समाधानों को विकसित करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, साथ ही इस बात की भी जागरूकता भी होनी चाहिए कि ये शर्तें कहां समाप्त हो जाती हैं। विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए, एआई प्रणाली पर्याप्त रूप से पारदर्शी होनी चाहिए और उसे उपयोक्ता के लिए सार्थक तरीके से यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि प्रणाली में कोई विशिष्ट निष्कर्ष कैसे निकाला गया, साथ ही उसे यह भी इंगित करने में सक्षम होना चाहिए कि प्रचालन की सीमा कब समाप्त हो गई। इसका उद्देश्य ऐसे एआई-एल्गोरिदम में उन्नयन करना है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से प्रदर्शन कर सकता है, वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में मज़बूती से काम कर सकता है और यह पूर्वानुमान लगा सकता है कि ये परिचालन परिस्थितियां कब मान्य नहीं रहेंगी। अनुसंधान का उद्देश्य सटीकता और दक्षता में स्वीकार्य कमी की ओर अग्रसर होते हुए, और ज्ञात सत्यापनीयता और पुनरुत्पादन क्षमता के साथ व्यापक समाधानों के लिए सुदृढ़ता और व्याख्यात्मकता का उन्नयन करना है। बुनियादी एआई और मशीन लर्निंग अनुसंधान द्वारा एआई-प्रणाली की व्याख्या और सुदृढ़ता की सामान्य प्रयोज्यता का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए, निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इनका इन्हीं तक सीमित रहना आवश्यक				

	नहीं है: • बेहतर सुदृढ़ता और व्याख्यात्मकता के लिए डेटा-कुशल शिक्षण, ट्रांसफॉर्मर, पुनर्प्रबलीकरण शिक्षण, फेडरेटेड और एज-लर्निंग, स्वचालित मशीन शिक्षण, या इसका कोई भी संयोजन। • शिक्षण, ज्ञान और तर्क को एकीकृत करने वाला हाइब्रिड दृष्टिकोण, मॉडल-आधारित दृष्टिकोण, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, या अन्य प्रकृति-प्रेरित दृष्टिकोण और हाइब्रिड संयोजन के अन्य रूप जो सामान्य रूप से मजबूती और व्याख्यात्मकता के लिए लागू होते हैं। • सतत शिक्षण, सक्रिय शिक्षण, दीर्घावधिक शिक्षण और वे किस प्रकार सुदृढ़ता एवं व्याख्यात्मकता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। • संवर्धित प्रचालनात्मक सुदृढ़ता के प्रयोजनार्थ बहु-सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहु-पद्धति शिक्षण, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, भाषा अभिज्ञान और पाठ की समझ तथा वैकल्पिक सूत्रीकरण की व्याख्या करने की क्षमता अधिक जानें				
	जलवायु अंतरण, परिवहन, जैव ईंधन				
3.	**ग्रिड समर्थन और चार्जिंग अवसंरचना के लिए हाइब्रिड विद्युत ऊर्जा भंडारण उपाय (**Batt4EU **भागीदारी)**	HORIZON-CL5-2023-D2-01-05	आईए	उपलब्ध	18 अप्रैल2023
	प्रस्तावों से निम्नानुसार अपेक्षा की जाती है: • या तो अगली पीढ़ी की तकनीकों सहित विभिन्न बैटरी तकनीकों का संयोजन करके, या बैटरी और अन्य इलेक्ट्रोस्टैटिक/इलेक्ट्रोकेमिकल भंडारण प्रौद्योगिकियों (जैसे, सुपरकैपेसिटर) का संयोजन, जिसका उद्देश्य सर्विस-स्टैकिंग की संभावना सुनिश्चित करते हुए लंबी अवधि का भंडारण प्रदान करना है और अल्ट्रा-फास्ट सेवाओं को सक्षम करते हुए स्थायी और सुरक्षित एचईएसएस को डिज़ाइन और प्रदर्शित करना। सेकेंड लाइफ बैटरी मॉड्यूल का उपयोग इसके दायरे में आता है। प्रस्तावित भंडारण समाधान स्थिरता और प्रदर्शन के उद्देश्यों को हमेशा ध्यान में रखते हुए स्तरोन्नयनयोग्य और मॉड्यूलर होना चाहिए और अत्याधुनिकता (नई सामग्री या नए डिजाइन) के संबंध में स्पष्ट नवाचार दिखाना चाहिए। ग्रिड-कनेक्टेड, ग्रिड-फॉलोइंग और ग्रिड-फॉर्मिंग पद्धतियों में हाइब्रिड भंडारण के कुशल संचालन को सक्षम करने के लिए उचित बिजली रूपांतरण उपकरणों का चयन या अनुकूलन किया जाना चाहिए। • संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन चरणों से शुरू होने वाले एचईएस का जीवन चक्र मूल्यांकन करना, जब भी संभव हो, सीआरएम के उपयोग से बचना या उसे सीमित रखना। • इष्टतम डिजाइन, और वास्तविक समय प्रबंधन तथा निदान का समर्थन करने के साथ-साथ पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति, उत्पादन और खपत पर विचार करते हुए ग्रिड-योजना प्रक्रियाओं में भंडारण को शामिल करने की सुविधा के साथ भौतिकी-आधारित और डेटा-संचालित डिजिटल मॉडल विकसित करना। मॉडल में विशिष्ट उपयोग के मामलों के आधार पर विभिन्न बैटरी तकनीकों के संयोजन की अनुमति होनी चाहिए। • एचईएसएस के लिए ऐसी प्रबंधन नीतियों और नियंत्रण प्रणालियों (बैटरी प्रबंधन प्रणालियों और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों) का विकास और सत्यापन करना जो हाइब्रिड भंडारण से अधिकतम लाभ प्राप्त करें, बिजली और सेवा बाजारों में संपत्ति प्रबंधन और भागीदारी की सुविधा प्रदान करें। बीएमएस के विकास में अक्षय ऊर्जा निर्देश में लंबित संशोधनों को ध्यान में रखा जाएगा। • ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के अधिकांश उपयोग मामलों के लिए अंतर-प्रचालनीयता सुनिश्चित करते हुए प्रासंगिक हितधारकों (उदाहरण के लिए, डीएसओ, ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्वामियों) के सहयोग से कम से कम तीन अलग-अलग उपयोग मामलों में एचईएसएस उपयोग का प्रदर्शन करना और मानक ग्रिड आर्किटेक्चर (स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर मॉडल - एसजीएएम) में इसका एकीकरण करना (उदाहरण के लिए, यूरोपीय ग्रिड को सेवाओं का प्रावधान, द्वीपीय और कमजोर वितरण ग्रिडों को सहायता, चार्जिंग स्टेशनों के लिए समान भार)। • तीन प्रतिनिधि यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों/संबंध देशों के बिजली और संतुलन बाजारों को ध्यान में रखते				

	हुए प्रस्तावित हाइब्रिड समाधान के व्यावसायिक मामलों का विश्लेषण करना उन अनुप्रयोगों का भी आकलन करना जहां एचईएसएस गैर-संकरित भंडारण प्रणालियों की तुलना में बेहतर तकनीकी -आर्थिक प्रदर्शन प्रदान करता है। अधिक पढ़े				
4.	**शून्य उत्सर्जन वाहनों के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण (2शून्य भागीदारी)**	HORIZON-CL5-2023-D5-01-04	आरआईए	खुला	20 अप्रैल 2023
	प्रस्तावों से निम्नलिखित सभी ईवी-संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों का समाधान करने की अपेक्षा की जाती है: • उत्पादन (डिजाइन, निर्माण और असेंबली) से लेकर जीवन चक्र के अंत तक प्रौद्योगिकियों का उपयुक्त सेट विकसित करना और परीक्षण बेंच सत्यापन के लिए तैयार प्रोटोटाइप निर्मित घटकों के माध्यम से पूर्ण जीवन चक्र पर वाहन स्तर पर उनकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना। इसमें चक्रीयता के लिए घटकों का पुन: डिज़ाइन शामिल है। • नए वाहनों में या पुर्जों के रूप में नवीनीकरण और पुन: उपयोग किए जाने के लिए उच्च मूल्य और/या ऊर्जा या दुर्लभ सामग्री वाले घटकों की क्षमता का आकलन करना। • मोटर वाहन मूल्य श्रृंखला में उच्च चक्रीयता को सक्षम करने वाले डिजिटल उपकरणों को बेहतर बनाना, उदाहरण के लिए चक्रीय डिजाइन और विकास, विनिर्माण या सामग्री, उनके उपयोग और ईओएल को ट्रैक करने के लिए सहायता । • रखरखाव और मरम्मत प्रौद्योगिकियों और परिचालन कार्यनीतियों के प्रभाव को यात्री कार उद्योग में मौजूदा प्रथाओं की तुलना में उच्च स्तरीय चक्रीयता सुनिश्चित करने के लिए विकसित या अनुकूलित किया जाएगा। • ईवी समाधानों की चक्रीयता को मापने और मूल्यांकन करने के साथ-साथ फेयर सिद्धांतों को लागू करने वाले मोटर वाहन आपूर्ति श्रृंखला के साथ सूचना का पर्याप्त आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए अवधारणा तैयार करना। • सीई के संबंध में मोटर वाहन उद्योग में प्रशिक्षण और आवश्यक कौशल बढ़ाने के लिए अवधारणाएं। • प्रदर्शनकारी के डिजिटल ट्विन का उपयोग विभिन्न परिदृश्यों का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें पुनर्नवीनीकृत या जैव-आधारित सामग्रियों का अनन्य उपयोग और केपीआई का मूल्यांकन शामिल है।और पढ़ें				

यह ध्यान देने के लिए कि होराइज़नयूरोप द्वारा सहयोगी कार्यों के प्रकार, अनुसंधान और नवाचार (आरआईए) और नवाचार कार्रवाई (आईए) निर्धारित किए गए हैं, और इन्हें निम्नानुसार समझा जाना चाहिए[1]:

- **अनुसंधान और नवाचार कार्रवाई (आरआईए)** जो नया ज्ञान स्थापित करती है अथवा नई या बेहतर प्रौद्योगिकी, उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा या समाधान की खोज करती है। यूरोपीय संघ के वित्त पोषण में परियोजना लागत का **100%** तक शामिल है।
- **नवाचार कार्रवाई (आईए)** जो नए या बेहतर उत्पादों, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण, प्रदर्शन, प्रायोगिक उपयोग, बड़े पैमाने पर उत्पाद सत्यापन और बाजार प्रतिकृति सहित प्रक्रियाओं या सेवाओं के लिए योजनाएँ या डिजाइन न तैयार करती है। यूरोपीय संघ के वित्त पोषण में परियोजना लागत के**70%** तक शामिल है।

[1] https://rea.ec.europa.eu/horizon-europe-how-apply_en

प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर

जहां आह्वान की विशिष्ट शर्तों में प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल) अपेक्षित होता है, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो:

- टीआरएल 1 - पालन किएजाने वाले बुनियादी सिद्धांतों
- टीआरएल 2 - तैयार की गई प्रौद्योगिकी अवधारणा
- टीआरएल 3 - अवधारणा का प्रायोगिक प्रमाण
- टीआरएल 4 - प्रयोगशाला में सत्यापित प्रौद्योगिकी
- टीआरएल 5 - प्रासंगिक वातावरण (प्रमुख सक्षम प्रौद्योगिकियों के मामले में औद्योगिक रूप से प्रासंगिक वातावरण) में सत्यापित प्रौद्योगिकी
- टीआरएल 6 - प्रासंगिक वातावरण (प्रमुख सक्षम प्रौद्योगिकियों के मामले मेंऔद्योगिक रूप से प्रासंगिक वातावरण)में प्रदर्शित प्रौद्योगिकी
- टीआरएल 7 - परिचालन वातावरण में प्रणाली प्रोटोटाइप प्रदर्शन
- टीआरएल 8 - पूर्ण और योग्य प्रणाली
- टीआरएल 9 - परिचालन वातावरण में सिद्ध वास्तविक प्रणाली (प्रमुख सक्षम प्रौद्योगिकियों या स्थान के मामलेमें प्रतिस्पर्धीविनिर्माण)

खंड 2: भारतीय आवेदकों के लिए भागीदारी और वित्त पोषण के तौर-तरीके

1. भागीदारी

1. 1. भारतीय निकायों की भागीदारी

होराइज़न यूरोप परियोजनाओं में भागीदारी निकाय

- भारतीय संस्थाओं की पात्रता डीएसटी द्वारा निर्धारित की जाती है।
- चूंकि भारतीय इकाई होराइजन यूरोप के तहत यूरोपीय संघ से निधि प्राप्त नहीं कर रही है, इसलिए उसे यूरोपीय संघ अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। वह **"सहयोगी भागीदार"** के रूप में भाग लेगा और ईसी अनुदान समझौते के अनुच्छेद 9.1 में उसका उल्लेख इसी रूप में किया जाएगा है।
- इसका मतलब है कि भारतीय इकाई से कंसोर्टियम समझौते में यथा निर्दिष्ट परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है।

भागीदारी हेतु औपचारिकता

- यदि आप होराइजन यूरोप परियोजना प्रस्ताव में भाग लेना चाहते हैं, तो आपके संगठन को फंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल के प्रतिभागी रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए और आपके पास 9 अंकों का प्रतिभागी पहचान कोड (पीआईसी) नंबर होना चाहिए (अनुलग्नक 2 में पंजीकरण प्रक्रिया देखें)। किसी भी मदद के लिए, यूरोपीय संघ से संपर्क करें (खंड-भविष्य की जानकारी देखें)।

प्रति-परियोजना भारतीय निकायों की संख्या

- किसी दी गई परियोजना पात्रता शर्त में भारतीय संस्थाओं की संख्या के संबंध में कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। प्रासंगिक और विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञता के साथ भारत में स्थापित कोई भी कानूनी निकाय/संगठन (सार्वजनिक या निजी अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय)। भारतीय प्रतिभागियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रत्येक भागीदार परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक होना चाहिए और उसके द्वारा पात्रता शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। (खंड 2 देखें)।

- यह आह्वान सभी कैरियर समूहों (यानी प्रारंभिक, मध्यवर्ती और वरिष्ठ) के लिए उपलब्ध है; हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक अन्वेषक के पास प्रमुख अनुसंधान, समन्वय, आउटरीच, पूर्णता पश्चात सहायता और

रखरखाव (यदि कोई हो) की जिम्मेदारियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सेवा कार्यकाल हो। प्रारंभिक कैरियर जांचकर्ताओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- भाग लेने वाले प्रत्येक कानूनी निकाय / संगठन (सार्वजनिक या निजी अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालय) का प्रतिनिधित्व कम से कम दो जांचकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए (खंड 2 देखें)।
- भारतीय परियोजना भागीदारों की संख्या इष्टतम और परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रस्ताव में भागीदार की अनिवार्यता, पूरकता और विषय पर संयुक्त कार्य से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त मूल्य को स्पष्ट रूप से निदर्शित किया जाना चाहिए।
- यदि किसी दी गई परियोजना में एक से अधिक भारतीय कानूनी निकाय/संगठन भाग ले रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि भारतीय प्रतिभागी उनमें से एक 'अग्रणी वैज्ञानिक समन्वयक-भारत' नियुक्त करें, जो डीएसटी के साथ ही कंसोर्टियम में भारतीय प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व कर सके। परियोजना में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कम से कम दो जांचकर्ताओं (एक परियोजना अन्वेषक और कम से कम एक सह-अन्वेषक) को प्रत्येक भाग लेने वाली कानूनी निकाय / संगठन का प्रतिनिधित्व करना होगा।

1. 2. यूरोपियन निकायों की भागीदारी

प्रति-परियोजना यूरोपियन निकायों की संख्या

- विशिष्ट अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों पर एक साथ काम करने वाले संगठनों के संघ द्वारा किए गए सहयोगी अनुसंधान और नवाचार परियोजनाएं। **एक कंसोर्टियम में 3 अलग-अलग सदस्य राष्ट्रों या संबद्ध देशों के कम से कम 3 भागीदार संगठन शामिल होने चाहिए।3भागीदारों में से कम से कम एक सदस्य राज्यों से होना चाहिए।**
- **यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र (ईयू** 27):*ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन।*
- **होराइजन यूरोप से जुड़े देश**:*अल्बानिया, आर्मेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, फैरो आइलैंड्स, जॉर्जिया,* आइसलैंड, *इज़राइल, कोसोवो, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, सर्बिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन।*
- इन तीन भागीदारों के अलावा, दुनिया में कहीं से भी किसी भी कानूनी निकाय को कंसोर्टियम में शामिल किया जा सकता है। कृपया होराइजन यूरोप कार्यक्रम गाइड[2] से परामर्श करें।

1.3. लैंगिक संतुलन

आवेदकों को अनुसंधान और नवाचार टीमों के सभी स्तरों और प्रबंधन संरचनाओं में महिलाओं और पुरुषों की संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करके कार्रवाई के कार्यान्वयन में समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. पात्रता

भारत से भाग लेने वाले निकायों / संगठनों को भारतीय कानून के अनुसार (भारतीय आवेदकों) और यूरोपीय निकायों को भागीदारी के होराइजन यूरोप नियमोंके अनुसार एक कानूनी निकाय होना अनिवार्य है।

2.1. भागीदारी हेतु पात्र भारतीय निकाय

- केंद्र सरकार / राज्य सरकार समर्थित या मान्यता प्राप्त (सार्वजनिक या निजी) शैक्षणिक और / या अनुसंधान संस्थान;
- राष्ट्रीय/राज्य वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं;

2

- भारतसरकार/राज्यसरकारद्वारामान्यताप्राप्तसंगठन, जिनकेअनिवार्य अधिदेशों में अनुसंधानऔरनवोन्मेष शामिल है; डीएसआईआरद्वारावैज्ञानिकऔद्योगिकअनुसंधानसंगठन (एसआईआरओ) केरूपमें मान्यता प्राप्त अनुसंधानएवंविकासकेंद्र;
- वैज्ञानिकअनुसंधानएवंविकासनिष्पादक भारतीयउद्योगस्वेच्छासेइसआह्वानमेंभागलेसकते हैं, जिसमेंभागलेनेवालेभारतीयउद्योगअपनेस्वयंकेसंसाधनोंकानिवेशकरसकतेहैंअथवा अनुसंधान/ शैक्षणिकसंगठनकेसहयोगसे,परंतु अपनेस्वयंकेसंसाधनोंकानिवेशकरके, शामिल हो सकतेहैं।

शैक्षिक/अनुसंधान भागीदार:

- सार्वजनिक और/अथवा निजी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों में अनुसंधान हेतु सुस्थापित अनुसंधान सहायता प्रणाली होनी चाहिए। भारतीय संविधि के तहत स्थापना साक्ष्य प्रस्तुतीकरण; भारत सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)[3]में अभिज्ञान दस्तावेज और पंजीकरण अनिवार्य है।

सभी भारतीय आवेदकों को डीएसटी के अनुदान निबंधनऔर शर्तों का पालन करना चाहिए।

2.2. प्रतिभागिता की पात्र यूरोपीय संस्थाएं

- कोईभीविधिक इकाईभागलेनेकी पात्रहै, बशर्तेआह्वान के विशिष्टविषय[4]मेंनिर्धारितकिसीभीअन्यशर्तसहित होराइज़न यूरोपविनियमनमेंनिर्धारितशर्तोंकोपूराकियागयाहो।

3. निधियन

3.1 डीएसटी द्वारा निधियन

डीएसटी, सफलपरियोजनामेंभारतीयभागीदार/ संस्थाओंका परियोजनाकीआवश्यकतानुसार, 3 वर्ष तककीपरियोजनाअवधिहेतु वित्तपोषण करेगा।परियोजनावधिसभीभागीदारदेशोंकीअवधिसे सुमेलित होनी चाहिए।
भागीदारी, कार्यभार, परियोजनाकेउद्देश्योंऔरभागीदारीलागतकीअनिवार्यताकेअनुरूपबजट होना चाहिए।

3.1.1 निधियन हेतु पात्रता

डीएसटी,पात्रतामानदंडोंकीअनिवार्यतः पूर्तिकरने वाली विधिक संस्थाओंकोपरियोजनाकीबजटलागत के अनुसार सहायता देगा:

अनुदान सहायता: संगठनोंकीनिम्नलिखितदोश्रेणियोंयथा भारतसरकारद्वारा सहायित अथवा मान्यताप्राप्तसार्वजनिकअथवा निजीशैक्षणिकसंस्थानोंअथवा अनुसंधानसंगठन/ प्रयोगशालाओंकोअनुमत्त बजटलागत (भारतीयभागीदार संस्थाओंकीसंख्यापर ध्यान दिए बिना बिनाप्रतिपरियोजनाअधिकतम**₹ 1.5** करोड़तक) का 100%।डीएसटीद्वारासमर्थन दिए जाने कीपात्रबजटलागतमेंअग्रलिखित सम्मिलित हैं: सिविलनिर्माणलागत, अभियोजन/ मुकदमेबाज़ी की लागत, जांचकर्ताओंकेवेतनको छोड़कर पूंजीगतव्यय (उपकरणऔरनिर्माणलागत), जनशक्ति, उपभोग्यसामग्री, यात्रा (स्थानीयऔरअंतर्राष्ट्रीययात्रा), परीक्षणऔरमानकीकरणव्यय, आकस्मिकता, उपरि व्यय (डीएसटीमानदंडानुसार) आदि।उपस्कर लागतमेंप्रथम अनुप्रयोग/ प्रदर्शन कीआंशिकलागतशामिलहोसकतीहै, जिसेसंबंधितसंगठनद्वारावहनकियाजाएगा।तथापि, प्रथमअनुप्रयोग/परिनियोजनकेसम्मत नवाचारानुसार परीक्षणलागत,परीक्षणऔरमानकीकरणलागतोंकेअंतर्गत स्वीकार्यहै।

[3] https://pfms.nic.in

[4] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf (page 5)

3.1.2 डीएसटीद्वारा अस्वीकार्यलागत

i. अभियोजन/मुकदमेबाजीका व्यय;
ii. जांचकर्ताओंकावेतन;
iii. कार्यालय फर्नीचर, मोटर वाहन, कार्यालय उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, सेल फोन, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीनजैसी आस्तियों की खरीद, और भवनों और प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं के नवीकरण या विस्तार हेतु पूंजीगत व्यय;
iv. विदेशों से संघ भागीदार(भागीदारों) से परीक्षण और विश्लेषण हेतु प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियों), प्रदर्शन संयंत्रों और संबद्ध क्षेत्र उपकरण (उपकरणों), हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि संबंधी पूंजीगत व्यय;
v. किराये और उपयोगिताओं संबंधी व्यय;
vi. होराइज़न यूरोप के विशिष्ट कॉल विषय में संघ में भागीदार देश के अतिरिक्त अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा;
vii. सम्मेलनों/संगोष्ठियों/प्रतिनिधि सभा में मात्र उपस्थिति

3.2 यूरोपीय संघ द्वारा निधियन

यूरोपीयभागीदारोंकावित्तपोषणभागीदारीकेहोराइज़न यूरोप नियमोंऔरकार्यवाईकेकर्म प्रकार [आरआईएऔरआईए][5]केअनुरूप है।

3.3 आईपीआर :स्वामित्व, संरक्षण और प्रयोक्ता अधिकार

- आईपीआरकानूनऔरअन्यनियमप्रायः अनुसंधानपरियोजनाओंके प्रतिभागियोंहेतु महत्वपूर्णहोतेहैं, क्योंकिउनकापरियोजनाकेविकासकेदौरानज्ञानसाझाकरण केतरीकेपरगहराप्रभावपड़सकताहै, औरजिसमेंपरियोजनापरिणामोंकाव्यावसायिकरूपसेउपयोगकियाजासकताहै।
- प्रतिभागियोंकोसंयुक्तरूपसेसंघ समझौता (सीए) तैयारकरनाहोगा।सीए,संयुक्तअनुसंधानमेंप्रतिभागियोंकेमध्य संपन्नहोनेवालाएकविशिष्टसमझौताहै, जो अन्य बातोंकेअलावा, स्वामित्व, संरक्षण, अनुसंधानऔरविकासउद्देश्योंहेतु प्रयोक्ता अधिकार, उपयोग औरप्रसार, जिसमेंसंयुक्तप्रकाशनकीव्यवस्था, आनेवालेअनुसंधानकर्ताओंकेअधिकारऔरदायित्वतथा विवादनिपटानप्रक्रियाएंशामिलहैं, का निर्धारण करता है। सीएअग्रभाग औरपृष्ठभूमिकीजानकारी, लाइसेंसिंगऔरवितरणपर भी ध्यान देगा।
- सभीप्रस्तावों हेतु आईपीआरमुद्दोंकोयूरोपीयसंघऔरभारत[6]केमध्य एसएंडटीसमझौतेकोपूराकरनेकीआवश्यकताहै।

4. प्रस्ताव तैयार करना

भारतीयऔरयूरोपीयप्रतिभागियोंकोक्रमशःहोराइज़न यूरोपनिधियन और टेंडरपोर्टलप्रारूप[7]तथा डीएसटीकीप्रशासनिकऔरवित्तीयआवश्यकताओं (अनुबंध 1 देखें) द्वाराप्रदत्त जरूरत औरटेम्पलेट्सकेअनुसारसंयुक्तप्रस्तावतैयारकरनाहोगा।भारतीयभागीदारोंद्वारा हॉराइज़नयूरोपऔरडीएसटीकेप्रारूपऔरटेम्पलेट्सकाअनुपालनकरनाअनिवार्यहै।भारतीयसंस्थाओंकोसम्बद्ध पार्टनरकेरूपमेंभागलेनाचाहिए।

हॉराइज़न यूरोपप्रस्तावके दोमुख्यभागहैं:

[5]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

[6]http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/july/tradoc_113341.pdf

[7]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf

- **भागक:** परियोजना(शीर्षक, **सारऔरकीवर्ड**), संघ (बुनियादीप्रशासनिकडेटा, **संपर्कव्यक्ति**, घोषणाएं) **औरबजटअवलोकनपरसामान्यजानकारीवाला प्रशासनिकप्रारूप**
- **भागख:** **नियोजितअनुसंधानऔरनवाचारपरियोजनाकाविस्तृतविवरणवाला तकनीकीअनुबंध**है। यह संरचनाआरआईए/ आईएहेतु प्रस्तावटेम्पलेटमेंनिर्धारित **मूल्यांकनमानदंडों** (उनका यहांउल्लेख करें) परआधारितहै।

निधियन और निविदा पोर्टल पर प्रस्ताव में सम्बद्ध भागीदारों को शामिल करने का तरीका

भारतीय संस्थाएं**"एसोसिएटेडपार्टनर्स" (एपी)कीभागीदारभूमिकाकेतहतआवेदनकरकेहोराइज़नयूरोपपरियोजनाओंमेंभागलेसकतीहैं।** यहएकचरण-दर-चरणमार्गदर्शिकाहै (**यूरोपीयप्रस्तावसमन्वयककेमाध्यमसेपूराकियाजानाहै**):

- पोर्टलपरप्रस्तावमेंएपीकैसेजोड़ें
- **पोर्टलपरएपीकेबजटकोकैसेशामिलकरें**
- **एकमुश्तपरियोजनाओंहेतु बजटतालिकाका कैसेप्रयोग** करें

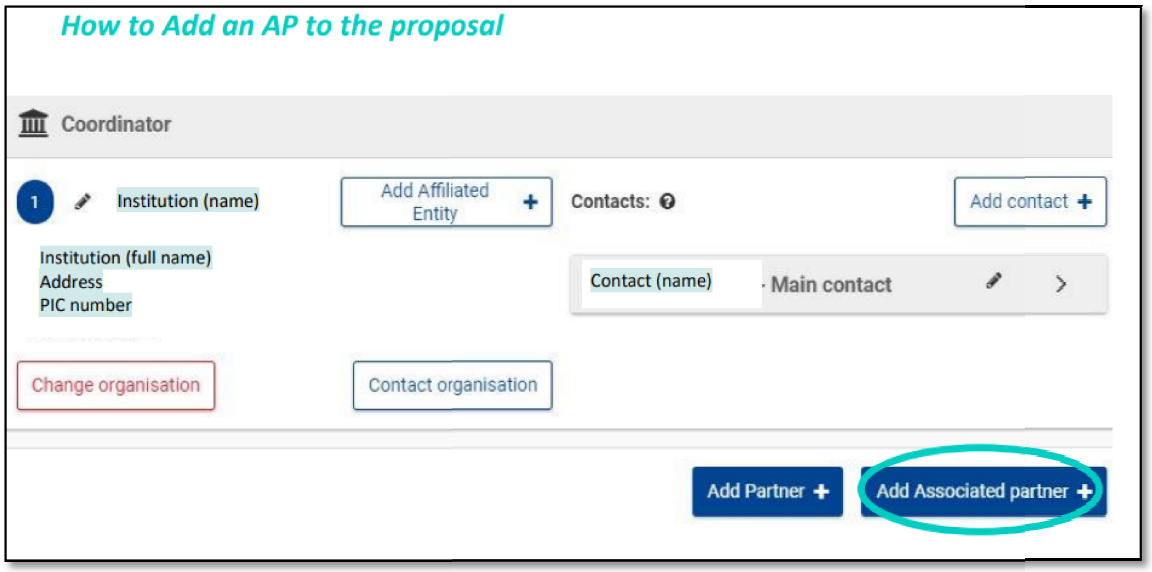

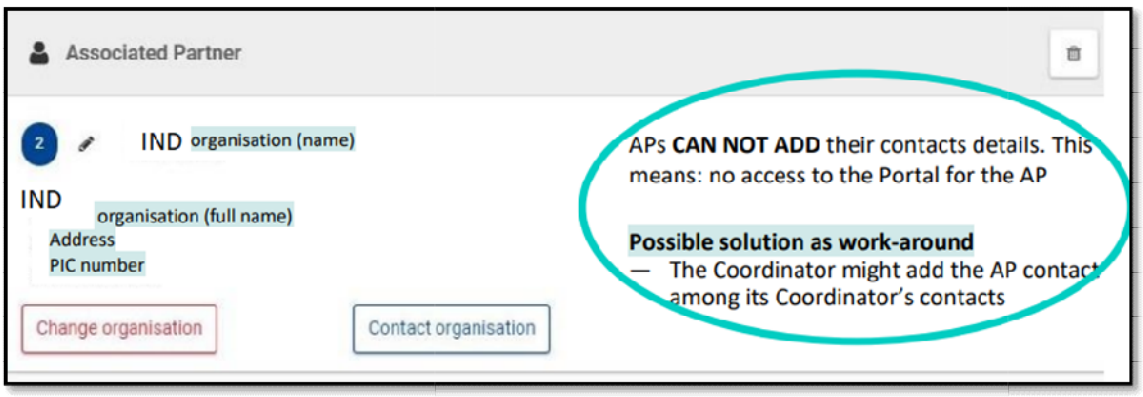

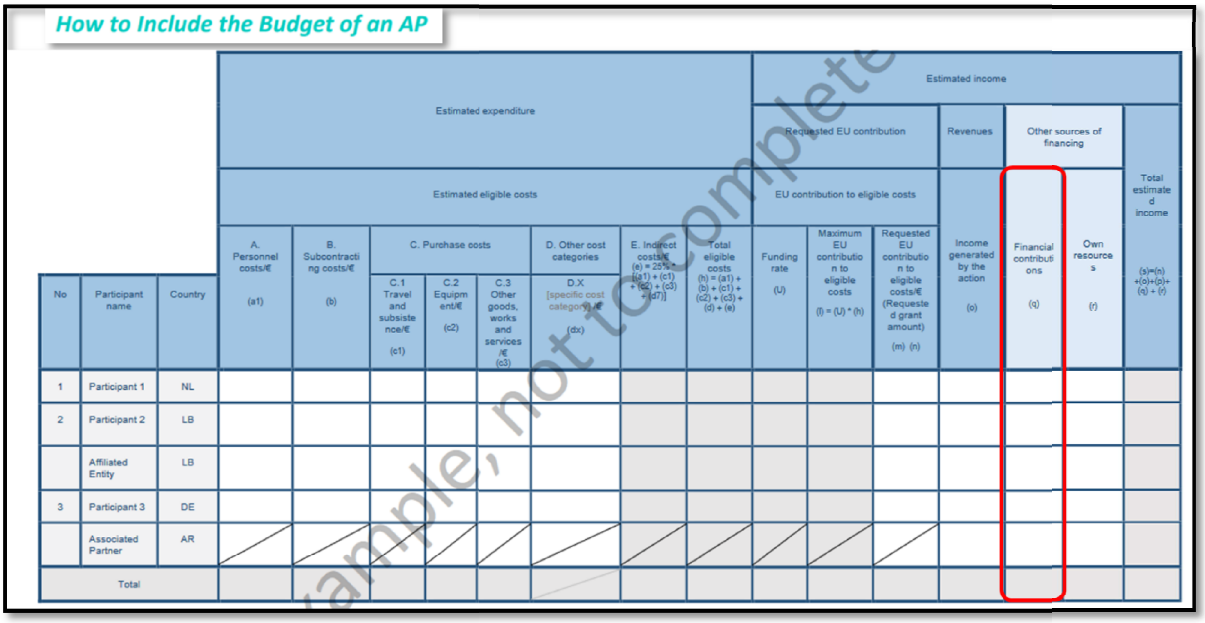

"वित्तीय योगदान" यहां वह राशि डालें जो एपी के रूप में भाग लेने वाली भारतीय निकाय डीएसटी से मांगना चाहती है।

सामान्य तौर पर, **इस बजट श्रेणी का उपयोग किसी भी वित्तीय योगदान के लिए किया जाता है जो अन्य स्रोतों से** प्राप्त / पहले से ही प्राप्त होने की उम्मीद है, **विशेष रूप से उसी कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता है जैसा कि** होराइज़नयूरोप (जैसे डीएसटी से वित्त पोषण) **के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किया गया है।**

एसोसिएटेड पार्टनर को सौंपे गए कार्यों को परियोजना के तकनीकी विवरण (भाग ख) में वर्णित किया जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस खंड में निकाय का अनुमानित बजट भी शामिल कर सकते हैं (अनिवार्य नहीं)।

भारतीय प्रतिभागी डीएसटी की आवश्यकताओं और टेम्पलेट्स के अनुसार बजट (रुपये में) तैयार करें

- भारतीय प्रतिभागियों को केवल डीएसटी को परियोजना की अवधि के लिए भारतीय रुपये (₹) में विस्तृत वित्तीय योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- परियोजना में प्रत्येक भारतीय भागीदार के लिए विस्तृत भारतीय वित्तीय योजना अनुलग्नक-1में डीएसटी द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार निर्दिष्ट की जानी चाहिए.

भारतीय प्रतिभागियों के लिए डीएसटी की बजट गणना

डीएसटी द्वारा 'होराइजन यूरोप' के तहत यूरोपीय भागीदारों के साथ एक सहयोगी परियोजना में सफल भारतीय प्रतिभागियों को प्रति परियोजना अधिकतम एक करोड़ पचास लाख रुपये (₹ 1,50,00,000/-) उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएसटी वित्त पोषित परियोजनाओं की अंतिम संख्या तय करेगा।

भारतीय प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी डीएसटी द्वारा प्रस्तावित बजट प्रारूप का पालन करे।

प्रत्यक्ष लागत:

1) **जनशक्ति लागत**: परियोजना की अपेक्षानुसार (परिलब्धियां भारत सरकार के मौजूदा मानदंडों के अनुसार होंगी);
2) **अन्वेषकों और परियोजना कर्मचारियों की यात्राएं**: भारतीय अन्वेषक (ओं) और परियोजना कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली परियोजना से संबंधित यूरोप कीयात्राओं और कार्यों के लिए, यूरोपीय देशों में यात्रा की लागत और रहने के कार्य-दिवस (यानी इकोनॉमी क्लास द्वारा राउंड-ट्रिप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, स्वीकार्य बीमा, स्थानीय परिवहन, बोर्डिंग और लॉजिंग) को प्रत्येक वर्ष के लिए संबंधित भारतीय संगठन द्वारा अनुबंध **1** के **8.1, 8.2** और **8.3** (जैसा लागू हो) पर उचित रूप से बजट न्याय संगत किया जाना चाहिए। अन्य संघीय प्रतिभागियों के सहयोगी अन्वेषक (कों) और परियोजना कर्मचारियों (यों) की मेजबानी करने वाली संस्था, परिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान सुविधा और अनुसंधान संसाधन प्रदान करेगी और यदि आवश्यक हो, तो यह प्रत्येक प्रतिभागी बजट में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हो सकता है।
3) **ऊपरी/अप्रत्यक्ष लागत**: भारतीय भागीदारों के लिए कानूनी निकाय/संगठन को देय उपरिव्यय, भारत सरकार के मौजूदा मानदंडों अनुसार केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों के तहत शैक्षिक संस्थानों के लिए कुल परियोजना लागत का **10%** तक और प्रयोगशालाओं और संस्थानों के लिए **8%** तक।

// नोट किया जाए //

- भारतीय निकाय भारतीय रुपये में विस्तृत वित्तीय योजना केवल डीएसटी को प्रस्तुत करेंगी
- भारतीय प्रतिभागियों को डीएसटी द्वारा प्रदान किया जाने वाला बजट संघ में यूरोपीय और अन्य देशों के आवेदकों द्वारा किए गए खर्चों को शामिल नहीं करता है।
- भारतीय निकाय ईसी के अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी लेकिन उन्हें संबद्ध भागीदार माना जाएगा ।
- प्रत्येक पक्ष यात्रा, चिकित्सा बीमा के लिए प्रीमियम, आवास, बोर्डिंग/लॉजिंग, वीजा शुल्क, प्रति दिन भोजन, सहित परियोजना के कार्यान्वयन की अपनी लागत वहन करेगा।

खंड 3: भारतीय आवेदक के लिए डीएसटी की नियम और शर्तें

- भारतीय आवेदकों को डीएसटी के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए।
- परियोजना के तहत विकसित अंतिम प्रौद्योगिकी को प्रासंगिक भारत/अंतर्राष्ट्रीय मानकों, यदि पहले से उपलब्ध हो, को पूरा करना होगा। अन्यथा, सभी भागीदार ऐसे मानकों को लाने के लिए अपने-अपने देशों में संबंधित संगठनों का अनुसरण करेंगे।
- भारतीय आवेदकों को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)[8]2017 और/या डीएसटी द्वारा समय-समय पर तय किए गए अन्य नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

खंड 4: परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

भारतीय आवेदकों के साथ सभी प्रस्ताव क्षितिज यूरोप वित्तपोष और निविदा पोर्टल और डीएसटी के ईपीएमएस ऑनलाइन पोर्टलदोनों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1. होराइज़नयूरोप वित्त पोषण और निविदा पोर्टल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना

वित्त पोषण और निविदा पोर्टल[9] की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति प्रणाली का उपयोग करते हुए एक संयुक्त प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह कार्य नामित यूरोपीय परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि उसे समय पर भारतीय प्रतिभागियों से सभी अपेक्षित जानकारी मिल जाती है। इसकी तैयारी में, भारतीय आवेदकों के

[8]https://doe.gov.in/sites/default/files/GFR2017_0.pdf

[9]https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867927

पास अपना व्यक्तिगत पहचान कोड (पीआईसी) होना चाहिए। यहां अनुलग्नक 2 देखें। अधिक जानकारी के लिए, प्रस्ताव प्रस्तुति सेवा उपयोगकर्ता मैनुअल[10]देखें।

2. डीएसटी से अनुरोधित बजट सहित डीएसटी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना

भारतीय प्रतिभागियों को अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-पीएमएस (www.onlinedst.gov.in) पर एक समेकित पीडीएफ फाइल (भाग क + भाग ख + डीएसटी के प्रशासनिक और वित्तीय रूप) के रूप में पूरा प्रस्ताव, (भाग क + भाग ख) और होराइजन यूरोप वित्तपोषण एवं निविदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए । **डीएसटी ईपीएमएस पोर्टल पर यह ऑनलाइन जमा करने का काम ऊपर उल्लिखित संबंधित कॉल बंद होने की तारीख के 7 कार्य दिवस के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। प्रस्ताव डाक (हार्ड कॉपी) या ईमेल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

कृपया ध्यान दें कि समय पर प्रस्तुत नहीं करने या होराइजन यूरोप वित्तपोषण एवं निविदा पोर्टल और डीएसटी में प्रस्तुत प्रस्ताव में कोई विसंगति पाए जाने पर डीएसटी द्वारा वित्त पोषण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

ई-पीएमएस पर डीएसटी को प्रस्ताव अपलोड करने के निर्देश

I. "डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल" के होम पेज पर जाने के लिए onlinedst.gov.in पर लॉग ऑन करें और रजिस्टर करें। पंजीकरण के बाद, लॉग इन करें और निर्धारित प्रारूप में संयुक्त परियोजना प्रस्ताव जमा करें।

II. भारतीय आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले डीएसटी वेबसाइट (www.dst.gov.in) पर प्रकाशित प्रासंगिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और यह पोर्टल साइट में लॉग इन करने के बाद ई-पीएमएस पोर्टल में प्रस्ताव प्रारूपों के तहत भी उपलब्ध हैं।

III. समय बचाने और डेटा हानि से बचने के लिए, कृपया उपयुक्त प्रस्ताव प्रारूप डाउनलोड करें और प्रारूप के अनुसार वर्ड और पीडीएफ फाइल के रूप में अपेक्षितसंपूर्ण जानकारी भरें और फिर अनिवार्य दस्तावेज जमा करने के दौरान इसे अपलोड करने के लिए तैयार रखें।

IV. "प्रस्ताव सबमिट करें" लिंक पर क्लिक करें, जो सामान्य जानकारी, प्रधान अन्वेषक आदि से शुरू होने वाली कई जानकारी मांगने वाले पेज पर ले जाएगा:

V. उपरोक्त सभी विवरण भरने के बाद, "पूर्वावलोकन" बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपने विवरण का पूर्वावलोकन करने का प्रावधान है। पूर्वावलोकन पृष्ठ उन सभी तथ्यों/विवरणों को प्रदर्शित करेगा जिनका प्रवेश समय पर उल्लेख किया गया है। यदि आवेदक भरे हुए विवरण के बारे में सुनिश्चित हैं तो सर्वर में डेटा को अंत में पुश करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें और स्वयं सत्यापित करें, क्योंकि **फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक** करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।

डीएसटी ई-पीएमएस ऑनलाइन पर जमा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

निम्नलिखित दस्तावेज भारतीय पीआई द्वारा तैयार किए जाएंगे और डीएसटी पोर्टल- www.onlinedst.gov.inपर अपलोड किए जाएंगे। अपेक्षित प्रारूप नीचे सूचीबद्ध है। .

क) बायोडेटा (अधिकतम 800 केबीके आकार की पीडीएफ फाइल)

[10]https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf

ख) अन्वेषक से प्रमाण पत्र (अधिकतम 800 केबी के आकार की पीडीएफ फाइल) (अनुलग्नक क)

ग) संगठन के प्रमुख से अनुमोदन (लेटरहैड पर) (अधिकतम 800 केबी के आकार की पीडीएफ फाइल) (अनुलग्नक ख)

घ) हितों का टकराव (पीडीएफ केवल अधिकतम आकार 800 केबी) (अनुलग्नक ग)

ड़.) पूर्ण प्रस्ताव (1 पीडीएफ फाइल: भाग क + भाग ख + प्रशासनिक और वित्तीय रूप (जैसा कि होराइजनयूरोप वित्तपोषण और निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया है) जैसा कि ऑनलाइन पोर्टल (पीडीएफ अधिकतम आकार 5 एमबी) में दर्शाया गया है और [पूर्ण परियोजना प्रस्ताव केवल वर्ड में अधिकतम आकार 5 एमबी]

3. होराइजन यूरोप वित्तपोषण और निविदाएं पोर्टल में जमा करने की औपचारिकताएं

- प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले, किसी भी आवेदक (यूरोप या भारत से) को यूरोपीय आयोग द्वारा पंजीकृत होने और इस उद्देश्य के लिए एक व्यक्तिगत पहचान कोड प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिसे पीआईसी भी कहा जाता है: अनुलग्नक**2**में पंजीकरण प्रक्रिया देखें)
- प्रशासनिक प्रारूप (भाग क) कैसे भरें, इस पर ऑनलाइन मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।
- तकनीकी अनुलग्नक के लिए प्रस्ताव टेम्पलेट सिस्टम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तकनीकी अनुलग्नक और किसी भी अतिरिक्त अनुलग्नक को पीडीएफदस्तावेज़ों के रूप में अपलोड करना होगा।
- डीएसटी की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए टेम्पलेट केवल डीएसटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1

अधिक जानकारी के लिए

डीएसटी में संपर्क करें:

डॉ. महक गर्ग, वैज्ञानिक
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - **110016**
mahak.garg@gov.in

डॉ अरविंद कुमार, वैज्ञानिक 'एफ',
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -**110016**
arvind.kumar71@nic.in

ईयू संपर्क:

- DELEGATION-INDIA-RI@eeas.europa.eu

अनुलग्नक1:प्रशासनिक और वित्तीय विचार के लिए नमूना

प्रति परियोजना के लिए अधिकतम 1 करोड़ पचास लाखरुपये(₹1,50,00,000/-)

बजट विवरण हेतु प्रारूप

अन्वेषक का नाम:

संस्थान का नाम:

संस्था का प्रकार:

क्र.सं.	मद शीर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल (रुपये में)
क	**गैर आवर्ती (पूंजीगत मद)**				
1.	छोटे उपकरण;निर्माण लागत;प्रोटोटाइप विकास;प्रदर्शन लागत (यदि कोई हो)				
ख	**आवर्ती मद (सामान्य)***				
1.	जनशक्ति				
2.	उपभोग्य सामग्री				
3.	यात्रा (घरेलू)				
4.	यात्रा (अंतर्राष्ट्रीय)				
5.	प्रासंगिकता(डीएसटी के मानदंड के अनुसार)				
6.	अतिरिक्त(डीएसटी के मानदंड के अनुसार)				
	कुल योग (सामान्य)				
घ	**परियोजना के लिए कुल लागत (क+ख)**				

*क्षेत्र जांच/परीक्षण के लिए किए गए व्यय को उपयुक्त बजट मदों में जोड़ा जा सकता है।

प्रत्येक बजट मद में अनुमानित लागतों के औचित्य अपेक्षित है।

कृपया ध्यान दे: विशेषज्ञ समिति के सुझावों/सिफारिशों के आधार पर बजट का पुन: मूल्यांकन किया जा सकता है।

मदवार बजट का विवरण

*(*कंसोर्टियम परियोजनाओं के मामले में संस्थान/अनुसंधान समूह-वार दिया जाना चाहिए)*

क. गैर-आवर्ती (पूंजीगत मद)

क.1 छोटे उपकरण*

छोटेउपकरण के लिए बजट (डीएसटी द्वारा वहन किया जाएगा)

छोटेउपकरण का विवरण	**यूनिट स्थावर मूल्य (सीआईएफ + सीमा शुल्क/ कर + अन्य शुल्क आदि) * (रुपये लाख में)**	**उपकरणों की संख्या**	**कुल लागत (रुपये लाख में)**	**प्रस्तावित कार्य के संदर्भ में औचित्य।**
		कुल योग =		

*भारतीय रुपये में कुल **स्थावर**लागत को दर्शाने वाला पृष्ठ /शीट (**आयातित उपकरण, माल ढुलाई, कर, पुर्जों, विशेष स्थापना, आदि के मामले में विचार की गई मुद्रा विनिमय दर का उल्लेख करना सुनिश्चित करें)**।कृपया विश्वसनीय लागत अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लागत का अनुमान लगाएं क्योंकि कोई लागत संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

क.2 निर्मित प्रणाली / प्रोटोटाइप डेवलपमेंट: टेलर निर्मित मॉडल / प्रयोगात्मक व्यवस्था (यदि कोई हो)

।) निर्मित प्रणाली/टेलर निर्मित मद के लिए बजट

निर्मित प्रणाली का विवरण	**यूनिट स्थावरमूल्य (सीआईएफ + सीमा शुल्क + अन्य शुल्क आदि) * (रुपये लाख में)**	**उपकरणों की संख्या**	**कुलरुपये (रुपये लाख में)**	**प्रस्तावित कार्य के संदर्भ में औचित्य।**
	कुल योग			

* भारतीय रुपये में कुल **स्थावर**लागत को दर्शाने वाला पृष्ठ /शीट (**आयातित उपकरण, माल ढुलाई, कर, पुर्जों, विशेष स्थापना, आदि के मामले में विचार की गईमुद्रा विनिमय दर का उल्लेख करना सुनिश्चित करें)**।कृपया विश्वसनीय लागत अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लागत का अनुमान लगाएं क्योंकि कोई लागत

संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

क.3 प्रदर्शन मॉडल्स

I) प्रदर्शन मॉडल मदों के लिए बजट

विवरण	यूनिटस्थावरमूल्य (सीआईएफ + सीमा शुल्क + अन्य शुल्क आदि) * (रुपये लाख में)	उपकरणों की संख्या	कुलरुपये (रुपये लाख में)	प्रस्तावित कार्य के संदर्भ में औचित्य।
	कुल योग			

*भारतीय रुपये में कुल स्थावरलागत को दर्शाने वाला पृष्ठ /शीट (आयातित उपकरण, माल ढुलाई, कर, पुर्जो, विशेष स्थापना, आदि के मामले में **विचार की गई**मुद्रा विनिमय दर का उल्लेख करना सुनिश्चित करें)।कृपया विश्वसनीय लागत अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लागत का अनुमान लगाएं क्योंकि कोई लागत संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा

ख. गैर आवर्ती मद (सामान्य)

ख.1 जनशक्ति

पद*	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव वर्षों में, यदि लागू हो	औचित्य

***डीएसटी वेबसाइट पर दिशानिर्देश देखें:**

https://dst.gov.in/sites/default/files/OM%20Fellowship%20Revision-2019.pdfhttps://dst.gov.in/sites/default/files/S%26T-Manpower-Norms-10July2020.pdf

(परिलब्धियां दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी)

जनशक्ति बजट

<u>जेआरएफ/एसआरएफ/रिसर्च एसोसिएट्स/प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स विवरण (दी गई श्रेणी के लिए लागू))</u>

पद	कुल परिलब्धियां (रुपये में)					व्यक्तियों की संख्या	(सभी भत्तों सहित)* कुल राशि (रुपये)
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		कुल (प्रथम+द्वितीय +तृतीय वर्ष)		
		जनशक्ति बजट शीर्ष के लिए अपेक्षित सकल राशि =					

*कृपया देय एचआरए के लिए शहर की श्रेणी/वर्ग का उल्लेख करें।

ख. 2 उपभोग्य सामग्री

उपभोग्य सामग्री के लिए बजट (डीएसटी द्वारा वहन किया जाएगा)

मद	यूनिट मूल्य	आवश्यक मात्रा	राशि (लाख रुपये में)	औचित्य
कुल योग = लाख रुपये				

ख.3 आकस्मिताएं

आकस्मिताएं के लिए बजट (डीएसटी द्वारा वहन किया जाएगा)

मद (अप्रत्याशित खर्च, पेटेंट, रिपोर्ट तैयार करना आदि)	राशि (लाख रुपये में)	औचित्य
कुल		

ख.4 घरेलू यात्रा *

घरेलू यात्रा के लिए बजट (डीएसटी द्वारा वहन किया जाएगा)

मद (शामिल होने के लिए)	**कुल राशि**	**विस्तृत औचित्य (परियोजना में आवश्यक व्यापक क्षेत्र के दौरे के मामले में यात्रा, साधन और आवश्यक परिवहन की श्रेणी के संदर्भ में लागत का विवरण दर्शाता है)**
समीक्षा बैठकें		
नमूना संग्रह/क्षेत्र परीक्षण		
कुल		

ख.5 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा *

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बजट (डीएसटी के द्वारा वहन कियाजाएगा)

मद (शामिल होनेके लिए)	**कुल राशि**	**विस्तृत औचित्य**
कुल		

1. ***परियोजना अन्वेषक को परियोजना कार्य से संबंधित अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए डीएसटी से पूर्व में अनुमति लेने की आवश्यकता है**

ख.6 अन्य खर्च ,यदि लागू हो

अन्य खर्च के लिए बजट (डीएसटी द्वारा वहन किया जाएगा)

मद	**कुल (लाख रुपये में)**	**विस्तृत औचित्य (व्युत्पन्न लागत गणना और प्रासंगिक उद्धरण अनुबंध- / पृष्ठ संख्या * पर)**
आउटसोर्स कार्य		
परीक्षण/मानकीकरण		
अन्य मद,यदि कोई हो		
कुल योग =	रुपए	

सहयोगी बजट / योगदान

उपरोक्त क अनुसार प्रत्येक सहयोगी के लिए ऊपर दिए के समान ही विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें,यदि कोई हो

संस्था का विवरण:

क. संस्थामेंवित्तीयप्राधिकारीकापदनाम:

ख. क्या संगठन भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत है (पीएफ़एमएस)हाँ/नहीं

*(वेबसाईट देखें:https://pfms.nic.in/NewDefaultHome.aspx)

ग. यदि नहीं, तो कृपया इसे अनुसंधान एवं विकास योजना कोड- 3237 के तहत पीएफएमएस वेबसाइट पर जल्द से जल्द पंजीकृत कराएं, जो अनिवार्य है। यदि हां, तो पीएफएमएस में पंजीकृत एजेंसी कोड की सूचना दें

अनुलग्नक 2:होराइज़न यूरोप पोर्टल और औपचारिकताओं तक कैसे पहुचें और इसका उपयोग कैसे करें

भाग लेने का तरीका:

होराइजन यूरोप फ़ंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल "होम" पृष्ठ पर "भाग कैसे लें" टैब का चयन करके, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को एक ऐसे पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जो पोर्टल के प्रमुख भागों का उपयोग करने के लिए आसान पहुँच और निर्देश प्रदान करता है (नीचे स्क्रीन शॉट देखें) :

- खाता बनाएं
- संगठन पंजीकृत करें
- भागीदार खोजें
- प्रस्तावों के लिए आह्वान खोजें
- प्रस्ताव प्रस्तुत करें

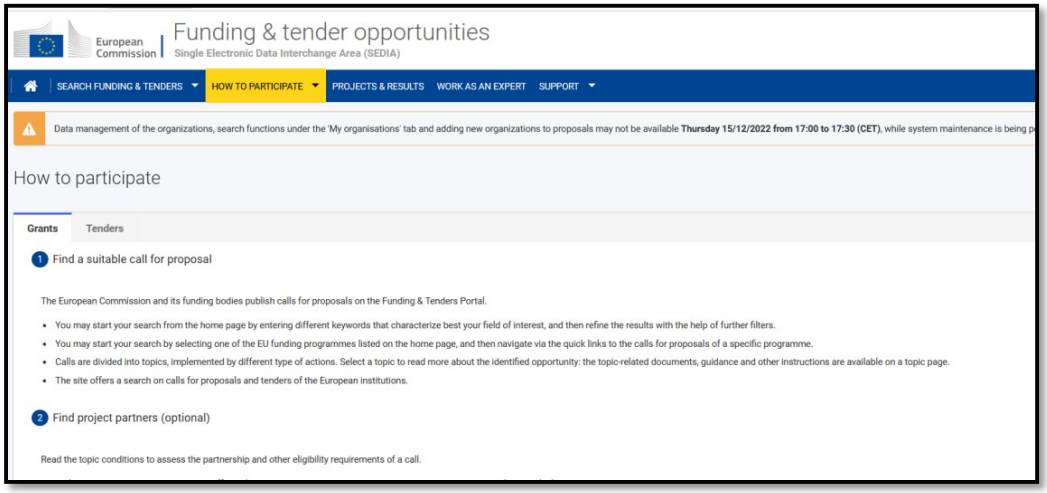

अनुलग्नक3: भागीदारों की खोज

शुरुआती बिंदु उन भागीदारों पर विचार करना है जिनके साथ आपके पास पहले से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। चूंकि होराइजन यूरोप आह्वान में भागीदारी के लिए चुनौती को उचित रूप से दूर करने के लिए अंतःविषय और / या अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए संपर्कों के सामान्य सर्कल के बाहर भागीदारों की तलाश करना आवश्यक है।

यहां आपको यूरोपीय सेवाओं की सूची प्राप्त होगी जो सही भागीदारों को खोजने में सहायता करती हैं:

साझेदार खोज उपकरण	
संगठन प्रोफ़ाइल के लिए ईसी प्लेटफ़ॉर्म पर भागीदार की खोज	यूरोपीय आयोग के फंडिंग और निविदा पोर्टल में पंजीकृत संगठनों में से अपने परियोजना विचारों के लिए भागीदार खोजें।
एंटरप्राइज यूरोपनेटवर्क की मदद से भागीदार खोजें	एंटरप्राइज यूरोप नेटवर्क ऑनलाइन डेटाबेस में यूरोप और बाहर के 60 से अधिक देशों की कंपनियों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों से 2,500 से अधिक प्रौद्योगिकी प्रोफाइल (प्रस्ताव और अनुरोध) शामिल हैं।
उचित साझेदार की खोज के लिए मार्गदर्शिका	होराइजन यूरोप:उचित साझेदार खोज के लिए मार्गदर्शिका
उल्लेखित रुचि	होराइजन यूरोप फंडिंग एंड टेंडर्स पोर्टल: आह्वान विषयों की खोज करें जहां संगठनों ने भाग लिया है या भविष्य में भाग लेने में रुचि व्यक्त की है।
ईयूमैच2.0	एच 2020 समर्थित स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भागीदारों और परियोजना पहलों को खोजने के लिए पार्टनर सर्च और मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म।
एनसीपीनेटवर्क	होराइजन यूरोप के लिए राष्ट्रीय संपर्क बिंदु

अनुलग्नक क

अन्वेषक का प्रमाण पत्र

परियोजना शीर्षक:

1. मैं/हम डीएसटी/डीबीटी अनुसंधान अनुदान के निबंधनों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं।

2. मैंने/हमने वित्तीय सहायता के लिए कहीं भी विचाराधीन परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

3. मैंने / हमने जांच की है और सुनिश्चित किया है कि परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार उपकरण और बुनियादी सुविधाएं (बिंदु 16 पर उल्लिखित) वास्तव में उपलब्ध होंगी। मैं / हम इन मदों की खरीद के लिए इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं करूंगा/करेंगे।

4. मैं / हम यह वचन देते हैं कि स्थायी उपकरणों को खाली समय में अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. मैंने / हमने निम्नलिखित संलग्न दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए हैं।
   i) सभी मुख्य प्रधान अन्वेषकों के जीवनवृत्त ।
   ii) अन्वेषक (कों) के प्रमाण पत्र
   iii) संस्था प्रमुख का अनुमोदन (पत्र शीर्ष पर)
   iv) हितों का टकराव
   v) सम्पूर्ण प्रस्ताव (1पीडीएफ़ फाइल और 1 डॉक फ़ाइल)

प्रधान अन्वेषकका नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक ख

संस्था प्रमुख का अनुमोदन

(पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

परियोजना शीर्षक:

1. प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान परियोजना के लिए प्रधान अन्वेषक के रूप में डॉ._____ और प्रधान सह-अन्वेषक के रूप में डॉ._____ की सहभागिता का स्वागत करता है और प्रधान अन्वेषक द्वारा कार्य छोडने की अप्रत्याशित घटना की स्थिति में प्रधान सह-अन्वेषक परियोजना के सफल समापन की जिम्मेदारी लेगा (डीएसटी / डीबीटी को विधिवत जानकारी के साथ)।

2. प्रमाणित किया जाता है कि बिंदु 16 पर उल्लिखित उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं तथा अनुदान के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसी अन्य प्रशासनिक सुविधाएं, परियोजना की पूरी अवधि के दौरान अन्वेषक (कों) को प्रदान की जाएंगी।

3. संस्थान परियोजना की वित्तीय और अन्य प्रबंधन जिम्मेदारियॉ लेता है।

संस्था प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक ग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की हितो के टकराव संबंधी नीति

समीक्षाकर्ता या समिति के सदस्यया आवेदक या डीएसटी/डीबीटी की स्कीम / कार्यक्रम से जुड़े / संलग्न डीएसटी/डीबीटी अधिकारी के लिए

देश के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य में सरकारी वित्त पोषण के बड़े हिस्से को देखते हुए, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में हितों और नैतिकता के टकराव के मुद्दों ने अधिक प्रमुखता ग्रहण कर ली है। हितों के टकराव और आचार संहिता के सामान्य पहलुओं से संबंधित निम्नलिखित नीति ऐसे उद्देश्यपूर्ण उपाय हैं जिनका आशय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा करना और पूर्वाग्रह को कम करना है। नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, वित्त पोषण तंत्र में जवाबदेही बढ़ाना और आम जनता को यह आश्वासन देना है कि अनुदान देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण हैं। नीति का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से बचना है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी प्रभाव से मुक्त हो / पक्षपात रहित व्यवहार वाली हो, कार्यक्रम की शुरूआत से पहले, उसके दौरान और बाद में जनता को यह आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वत देने और अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे और निर्णय लेने वाले पारदर्शी तरीके अपना कर अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जनता को रिश्वत देने से रोकने या किसी भ्रष्ट प्रक्रिया से बचने में सक्षम बनानाहै। यह डीएसटी/डीबीटी द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैश्विक स्वीकृति भी सुनिश्चित करेगा।

हितों के टकराव की परिभाषा :

हितों के टकराव का अर्थ है "कोई भी हित जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की निष्पक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यक्ति या उस संगठन के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा हो सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है"। हितों के टकराव में वे परिस्थितियां भी शामिल हैं जहां एक व्यक्ति, स्वीकृत मानदंडों और नैतिकता के उल्लंघन में, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अनिवार्य कर्तव्यों का फायदा उठा सकता है।

1. नीति का दायरा :

क) नीति के प्रावधानों का पालन डीएसटी/डीबीटी/डीबीटी से निधि के लिए आवेदन करने वाले और निधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, प्रस्ताव के समीक्षकों और विशेषज्ञ समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। नीति के प्रावधान डीएसटी/डीबीटी के अधिकारियों सहित प्रत्यक्ष या प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल बिचौलियों और समितियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

ख) इस नीति का उद्देश्य उन पहलुओं को कम करना है जो वर्तमान में डीएसटी/डीबीटी द्वारा संचालित किए जा रहे वित्त पोषण तंत्र में वास्तविक हितों के टकराव, प्रत्यक्ष हितों के टकराव और संभावित हितों के टकराव बन सकते हैं। नीति का उद्देश्य वित्तीय हितों के टकराव (प्रस्ताव या फ़ैसले के परिणामों से लाभ), व्यक्तिगत (रिश्तेदार / परिवार के सदस्यों का संघ) और संस्थागत (सहयोगी, समन्वयक, नियोक्ता, किसी व्यक्ति के पेशेवर करियर में संबद्ध व्यक्ति जैसे पीएच.डी. पर्यवेक्षक आदि) के हितों के टकराव को कवर करना है, हालांकि यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

2. हितों का टकराव क्या होता है, इस संबंध में विनिर्दिष्टताएं

निम्नलिखित में से किसी भी विनिर्दिष्टता (गैर - परिपूर्ण) को हितों का टकराव माना जाएगा यदि,

(i) ऐसा कोई भी कारण जिससे समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यप्रस्ताव का निष्पक्ष और उद्देश्यपरक आकलन न कर सकें।

(ii) आवेदक सीधे तौर पर रिश्तेदार# या परिवार का सदस्य (पति या पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) या निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का निजी दोस्त हो अथवा वैकल्पिक रूप से, यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार ने आवेदक के फॉर्म आदि में रुचि / हिस्सेदारी को प्रभावित किया हो।

(iii) अनुदान / फ़ैसले के लिए आवेदक समीक्षाकर्ता या समिति के सदस्यके रूप में प्रक्रिया में शामिल किसी व्यक्ति का कर्मचारीयानियोक्ता हो; या यदि अनुदान/ फ़ैसले के आवेदक का उस व्यक्ति के साथ पिछले तीन वर्षों में नियोक्ता - कर्मचारी संबंध रहा हो।

(iv) अनुदान / फ़ैसले के लिए आवेदकउसी विभाग से संबंधित हो जिससे समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यसंबंधित है।

(v) समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यउस संगठन का प्रमुख हो जिसमें आवेदक नियोजित है।

(vi) समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यआवेदक के वृत्तिक कैरिअर से संबंधित (जैसे पीएच. डी. पर्यवेक्षक, परामर्शदाता, वर्तमान समन्वयक आदि) हो या रहा हो।

(vii) समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यआवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव को तैयार करने में शामिल रहा हो।

(viii) आवेदक ने पिछले तीन वर्षों में समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यके साथ कोई संयुक्त अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित किया हो।

(ix) आवेदक / समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यका वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुपालन किए जाने वाले स्वीकृत मानकों और नैतिकताओं के उल्लंघन में प्रस्ताव के परिणामों के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष वित्तीय हित हो।

(x) समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यको प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार किए जाने से व्यक्तिगत लाभ हो।

#इस प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार" शब्द का संदर्भ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 से लिया जाए।

3. विनियमन :

डीएसटी अपने वित्त पोषण तंत्र में हितों के टकराव को यथासंभव अधिकतम सीमा तक टालने का प्रयास करेगा। हालांकि, हितों के टकराव और वैज्ञानिक नैतिकता से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में शामिल हितधारकों के लिए स्व-नियामक पद्धति अपनाने की सिफारिश की जाती है। इससे संबंधित कोई भी प्रकटीकरण आवेदक / समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्यद्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।

4. गोपनीयता :

समीक्षाकर्ता और समिति के सदस्य प्रक्रिया के दौरान की गई सभी चर्चाओं और निर्णयों की गोपनीयता की रक्षा करेंगे और किसी भी आवेदक या किसी तीसरे पक्ष के साथ उस पर चर्चा करने से बचेंगे, जब तक कि समिति अन्यथा सिफारिश न करे और रिकॉर्ड में ऐसा करने को न कहा गया हो।

5. आचार संहिता

5.1 समीक्षाकर्ताओं / समिति के सदस्यों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए :

क. सभी समीक्षाकर्ता हितों के टकराव संबंधी विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें हितों के टकराव के किसी रूप की उपस्थिति या अनुपस्थिति संबंधी घोषणा की जाएगी।

ख. यदि हितों का टकराव स्थापित हो हो या प्रत्यक्ष हो तो समीक्षाकर्ता प्रस्तावों का मूल्यांकन नहीं करेंगे।

ग. हितों के टकराव सबंधी सभी चर्चाओं और निर्णयों को बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा।

घ. समिति के अध्यक्ष द्वारा हितों के टकराव से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा।

ङ. समिति के अध्यक्ष सभी सदस्यों से यह प्रकट करने का अनुरोध करेंगे कि क्या चर्चा हेतु निर्धारित कार्यसूची की किन्हीं मदों पर उनका हितों का कोई टकराव है।

च. उस विशिष्ट मद के संबंध में जहां हितों का टकराव स्थापित हो या प्रत्यक्ष हो, समिति के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रहेंगे और कक्ष से बाहर चले जाएंगे।

छ. यदि अध्यक्ष का स्वयं का हितों का कोई टकराव हो तो, समिति शेष सदस्यों में से अध्यक्ष का चयन करेगी और समिति

के सदस्य सचिव के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

ज. यह अपेक्षा की जाती है कि अध्यक्ष सहित समिति के सदस्य उस समिति से वित्त पोषण की मांग नहीं करेंगे जिसके वे सदस्य हैं। यदि कोईसदस्य किसी समिति से अनुदान हेतु आवेदन करता है तो ऐसे प्रस्तावों का उस समिति से बाहर अलग से मूल्यांकन किया जाएगा जिसका वह सदस्य है।

5.2 <u>अनुदान / फ़ैसले के आवेदक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए:</u>

क. आवेदक को बिंदु संख्या 2 में ऊपर वर्णित विनिर्देशों में उल्लिखित कारकों के कारण उत्पन्न हो सकने वाले संभावित हितों के टकराव वाले रेफरी का सुझाव देने से बचना चाहिए।

ख. आवेदक स्पष्ट रूप से इसके कारणों का उल्लेख करते हुए उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर सकता है जिन्हें प्रस्तुत प्रस्ताव रेफरी के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

5.3<u>डीएसटी/डीबीटी में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए :</u>

हालांकि कार्यक्रम अधिकारियों के लिए ऊपर बिंदु संख्या 6 में विस्तृत रूप से दिए गए के अनुसार, गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है, उन्हें अग्रिम रूप से घोषित करना चाहिए, यदि वे किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य (पति या पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता सहित लेकिन उन तक सीमित नहीं) या थीसिस / पोस्ट - डॉक्टरल संरक्षक के अनुदान आवेदनों पर कार्रवाई कर रहे हों या आवेदक के प्रस्ताव के वित्त पोषित होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होने वाला हो। ऐसे मामलों में, डीएसटी/डीबीटी द्वारा अनुदान आवेदन किसी अन्य कार्यक्रम अधिकारी को आवंटित किए जाएंगे।

6. <u>उल्लंघन की स्थिति में प्रतिबंध</u>

6.1 <u>क) समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्य और ख) आवेदक के लिए</u>

आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

6.2 <u>डीएसटी/डीबीटी में कार्यक्रम का निष्पादन कर रहे अधिकारियो के लिए</u>

आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सी सी एस (आचार नियम), 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

7. <u>अंतिम अपीलीय प्राधिकारी</u> :

सचिव, डीएसटी/डीबीटी हितों के टकराव और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इन मुद्दों पर सचिव, डीएसटी/डीबीटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. <u>घोषणा</u>

मैंने समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्य / आवेदक / डीएसटी/डीबीटी स्कीम या कार्यक्रम अधिकारी # पर अनुप्रयोज्य डीएसटी/डीबीटी की उपर्युक्त "हितों के टकराव संबंधी नीति" को पढ़ लिया है और मैं उसके प्रावधानों का पालन करने पर सहमत हूं।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि प्रस्तावित अनुदान के संबंध में मेरा कोई हितों का टकराव नहीं है।*

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि प्रस्तावित अनुदान के संबंध में मेरा हितों का टकराव है।*

*और #(जो प्रयोज्य हो उस पर सही का निशान लगाएं)

<u>समीक्षाकर्ता / समिति के सदस्य या आवेदक या डीएसटी/डीबीटी के अधिकारी का नाम</u>

(जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

(तारीख सहित हस्ताक्षर)